

Harian Usique Usa Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-06012020-215175 CG-DL-W-06012020-215175

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY साप्ताहिक WEEKLY

सं. 51]

नई दिल्ली, दिसम्बर 22—दिसम्बर 28, 2019, शनिवार/ पौष 1—पौष 7, 1941

No. 51]

NEW DELHI, DECEMBER 22—DECEMBER 28, 2019, SATURDAY/PAUSHA 1—PAUSHA 7, 1941

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

> भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

नई दिल्ली, 24 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि.366.—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम 1949 (1949 का 66) की धारा 18 की उप धारा (1) और उप धारा (2) के खण्ड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह 'ग' (योद्यक परा चिकित्सीय पद) भर्ती नियम, 2011 को जहां तक उनका संबंध सहायक उप निरीक्षक (भेषजज्ञ) के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय

and Union Territory of Lakshdweep	Note 2: Qualifications regarding experience are relaxable at
	the discretion of the Competent Authority for the reasons to
	be recorded in writing in the case of candidates belonging
2 2 2	to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if, at any
	stage of selection the Competent Authority is of the opinion
	that sufficient number of candidates belonging to these
	communities possessing the requisite experience are not
	likely to be available to fill up the vacancies reserved for
* .	them

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees		Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years	By direct Recruitment

In case of recruitment by	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its	Circumstances in
promotion or deputation or	composition	which Union Public
absorption grade from which		Services Commission
promotion or deputation/		is to be consulted in
absorption to be made	a a second a	making recruitment
	(10)	
(11)	(12)	(13)
Not Applicable	Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for	Not applicable.
	considering confirmation)consisting of :-	7
	1. Additional Medical Superintendent Lady Hardinge Medical	9
	College -Chairman;	- 4.2
	2. Deputy Director(Admin), Lady Hardinge Medical	* × *
	CollegeMember;	
,	3. Deputy Director(Admin) looking after the work of Lady	
	Hardinge Medical College in Directorate General of Health	
	Services -Member.	×

[F. No.A.11018/25/2019-MH-II] G.P. SAMANTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि.370.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली में जैव-चिकित्सा इंजीनियर के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.** (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, जैव-चिकित्सा इंजीनियर (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2019 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. पदों की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उसका स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- 3. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.— भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. **निरर्हता.—** वह व्यक्ति-
 - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
 - (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 4. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह कारणों को लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके आदेश द्वारा, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों के संदर्भ में शिथिल कर सकेगी।
- 5. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है

अनुसूची

पद का	पद की	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स	चयन या अचयन पद	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के
नाम	संख्या		में स्तर	*	लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जैव-	02*	साधारण	वेतन मैट्रिक्स	लागू नहीं होता	30 वर्ष से अधिक नहीं ।
चिकित्सा	(2019)	केन्द्रीय सेवा,	में स्तर-7		(केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर
इंजीनियर	(=५.५) *कार्यभार	समूह 'ख',	(44900-		जारी अनुदशों अथवा आदेशों के अनुसार
	के आधार	अराजपत्रित,	142400	,	सरकारी सेवकों के लिए आयु-सीमा पांच
	पर	अननुसचिवीय	रुपये)		वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)
	परिवर्तन	अननुसाचवाय			टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के
	किया जा	s ~		a a	लिए निर्णायक तारीख़ अभ्यर्थियों से
	सकता है ।				आवेदन प्राप्ति के लिए नियत की गई
					अंतिम तारीख़ होगी न कि वह अंतिम
		·		2	तारीख़ जो असम, मेघालय, अरूणाचल
					प्रदेश, मिज़ोरम, मणिपुर, नागालैंड,
			¥:	# # # # # # # # # # # # # # # # # # #	त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू और कश्मीर
			200	4	राज्य के लद्दाख़ खंड, हिमाचल प्रदेश के
					लाहोल और स्पीति जिला और चम्बा
		· ·			जिला का पांगी उपखंड, अंदमान और
į,		-	6		निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप के
*		× 85			अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं		अवधि यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, सीधी भर्ती द्वारा या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
किसी मान्यताप्राप्त	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती द्वारा ।
विश्वविद्यालय या संस्थान से			टिप्पण: पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर
जैव-चिकित्सा इंजीनियरी में	di n		स्थानांतरण या लम्बी बीमारी या अध्ययन
डिग्री ।	er e		छुट्टी या किसी अन्य परिस्थिति में एक वर्ष

टिप्पण-1: अन्यथा सुअर्हित	*		या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर
अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम		:	रहने के कारण हुई रिक्तियां, केन्द्रीय
प्राधिकारी के विवेकानुसार,	* , *	s 4	सरकार के ऐसे अधिकारियों में से
कारणों को लेखबद्ध करते हुए	,		प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी:
अर्हताएं शिथिल की जा सकती			(क) (i) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में
हैं।			नियमित आधार पर सदृश पद
टिप्पण-2: अनुभव संबंधी	*	-	_
अर्हताएं सक्षम प्राधिकारी के	* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *		धारण किया हुआ है; या
विवेकानुसार, कारणों को	¥	9	(ii) वेतन मेट्रिक्स के स्तर-6
लेखबद्ध करते हुए अनुसूचित	*, I		(35400-112400/- रुपए) के पद
जातियों या अनुसूचित			पर छह वर्ष की नियमित सेवा की
जनजातियों के अभ्यर्थियों के		2	हो; और
मामले में तब शिथिल की जा			
सकती हैं जब चयन के किसी	0.00	:3	(ख) जो स्तंभ 7 के अधीन सीधी भर्ती
चरण पर सक्षम प्राधिकारी की			किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए
यह राय हो कि आरक्षित		-	विहित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव
रिक्तियों को भरने के लिए			रखते हों।
अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन		E F	
समुदायों के अभ्यर्थियों के		* 5	
पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने			
की सम्भावना नहीं है ।	2		
			765

प्रोन्नति या	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन
प्रतिनियुक्ति या		परिस्थितियों में संघ
आमेलन द्वारा भर्ती की		लोक सेवा आयोग से
दशा में वे श्रेणियां		परामर्श-किया जाएगा
जिनसे प्रोन्नति या		* ;
प्रतिनियुक्ति/आमेलन		
किया जाएगा		
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता।	विभागीय पुष्टि समिति (पुष्टि पर विचार करने के लिए) निम्नलिखित से	लागू नहीं होता ।
	मिल कर बनेगी:	
	1. अपर चिकित्सा अधीक्षक, सफदरजंग अस्पताल, नई दिल्ली - अध्यक्ष;	
	2. संबंधित विभाग के अध्यक्ष, सफदरजंग अस्पताल - सदस्य;	8 1
	3. स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय में चिकित्सा अस्पताल प्रभाग के प्रभारी	
	उपनिदेशक - सदस्य;	*
e e	4. उपनिदेशक प्रशासन, सफदरजंग अस्पताल - सदस्य।	

[फा. सं. ए.12018/24/2016-एमएच-II]

जी.पी. सामंत, अवर सचिव

New Delhi, the 19th December, 2019

- G.S.R.370.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Bio Medical Engineer, Safdarjung Hospital, New Delhi, namely:-
- 1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Ministry of Health and Family Welfare, Safdarjung Hospital, New Delhi, Bio Medical Engineer (Group-'B' Post) Recruitment Rules, 2019.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Number of post, classification, level in pay matrix.—The number of the said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.
- **3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.**—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 4. Disqualification.—No person, -
 - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
 - (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

- 5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.
- **6. Saving.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of person in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post
	Λ			or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bio Medical	02 *(2019)	General Central	Level 7 in the pay	Not applicable.
Engineer.	(*subject to variation	Service, Group 'B',	matrix (Rs. 44900-	
	dependent on	Non- Gazetted,	142400).	
	workload).	Non- Ministerial.		

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	
(6)	(7)	
Not exceeding thirty years.	Degree in Bio-Medical Engineering from a recognised	
Relaxable for Government servants up to five years in	University or institute.	
accordance with the instructions or orders issued by the	Note 1: Qualifications are relaxable at the discretion of the	
Central Government.	Competent Authority for the reasons to be recorded in	
Note: The crucial date for determining the age-limit	writing in case of candidates otherwise well qualified.	
shall be the closing date for receipt of applications from	Note 2: Qualifications regarding experience are relaxable at	
candidates is not the closing date prescribed for those in	the discretion of the Competent Authority for the reasons to	
Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram,	be recorded in writing in the case of candidates belonging to	
Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division	the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes if, at any	
of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District	stage of selection the Competent Authority is of the opinion	
and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal	that sufficient number of candidates belonging to these	
Pradesh, Andaman and Nicobar Islands and	communities possessing the requisite experience are not	
Lakshadweep.	likely to be available to fill up the vacancies reserved for	
	them.	

Whether age and educational qualifications prescribed for	Period of probation, if	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation /absorption and percentage of the		
direct recruits will apply in the	,	vacancies to be filled by various methods		
case of promotees	a .			
(8)	(9)	(10)		
Not applicable	Two years	Direct recruitment.		
		Note: Vacancies caused by the incumbent being away on		
		deputation or long illness or study leave or under other		
		circumstances for a duration of one year or more may be		
		filled by deputation basis from officers of the Central		
	41	Government:		
		(a) (i) holding analogous posts on regular basis in		
		the parent cadre or Department; or		
8		(ii) with five years regular service in posts in		
E	. s	level 6 in the pay matrix (35400-112400, and		
		(b) possessing the qualifications and experience		
	8	prescribed for direct recruits under column		
34 (H Q		(7).		

In case of recruitment by	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its	Circumstances in which
promotion or deputation	composition	Union Public Services
/absorption grade from		Commission is to be
which promotion or		consulted in making
deputation/ absorption to be		recruitment
made		2
(11)	(12)	(13)
Not applicable.	Departmental Confirmation Committee (for	Consultation with the Union
	considering Confirmation) consisting of:-	Public Service Commission
	(1) Additional Medical Superintendent ,Safdarjung	is not necessary.
	Hospital, New Delhi -Chairman;	
	(2) Head of concerned Department, Safdarjung hospital	
-	-Member;	*
	(3) Deputy Director in charge of Medical Hospital	
-	Division, Directorate General of Health Services	
*	-Member;	
	(4) Deputy Director Administration ,Safdarjung Hospital	£.
	-Member.	

[F. No. A.12018/24/2016-MH-II] G.P. SAMANTA, Under Secy.

नई दिल्ली, 20 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि.371.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली (समूह-'घ' पद) भर्ती नियम, 1979 को, जहां तक इनका संबंध दर्जी, ड्रेसर और रसोइया के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली में दर्जी, ड्रेसर और रसोइया के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखत नियम बनाते हैं, अर्थात :-

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कलावती सरन बाल अस्पताल, नई दिल्ली (दर्जी, ड्रेसर और रसोइया), समूह 'ग' पद, भर्ती नियम, 2019 है।
 - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. **पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर** .— उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।